

संचालनालय लोक शिक्षण

मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (सी)4/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/33
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10.05.2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,

विकास खण्ड सागर, देवरी (सागर), सीहोर (सीहोर), पिपरिया (होशंगाबाद), मनसा, नीमच, (नीमच), डबरा, मुरार, पोरसा (ग्वालियर), कसरावद (खरगोन), छगांवमाखन (खण्डवा), जबलपुर (जबलपुर), इन्दौर (इन्दौर), सीतामउ (मंदसौर), रीवा (रीवा) म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में नियमानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/भाग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	01. श्रीमती ज्योति दुबे, प्राचार्य, शा.उमावि सानोघ जिला सागर म. प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सागर 3302003004	9500+ 27488 =36988/-
2202 सामान्य शिक्षा	02. श्री लखनलाल, भृत्य, शा. उमावि मुगांवली जिला सीहोर म. प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सीहोर 3502003002	153846
02 माध्यमिक शिक्षा	03. श्री विजय कुमार उमरे, भृत्य, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड पिपरिया जिला हाशंगाबाद म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड पिपरिया 1642003011	79919
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	04. श्री ओमप्रकाश जोशी, शिक्षक, मा.वि.जन्नौद जिला नीमच म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मनसा 2722003019	156545
0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाये	05. श्री शिवेन्द्र सिंह जैवार, सहायक ग्रेड 3, विकास खण्ड पिपरिया जिला हाशंगाबाद म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड पिपरिया 1642003011	58593
11 वेतन, भत्ते	06. श्रीमती वर्षा सैनी, सहायक ग्रेड 2, शास.कन्या.उच्च माध्यमिक विद्यालय रहली सागर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड देवरी 3332003012	48002
8888 -	07. श्री भरत लाल रैकवार, शिक्षक, शा.उमावि कृषि सुरखी जिला सागर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सागर 3302003004	160861
V मतदेय	08. श्री आर.सी. दुबे, व्याख्याता, शा.उमावि सांखिनी जिला ग्वालियर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डबरा 1422003029	25918+ 37539 =63457/-
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	09. श्री अरविन्द पाण्डे, प्राचार्य, शा.उमावि सिनगुन जिला खरगोन म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड कसरावद 2232003002	23468
	10. श्री घीसालाल जैन, प्रधान अध्यापक, क.मा.वि. जिला निमच म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड नीमच 2702003001	97000
	11. श्री धर्मपालसिंह यादव, व्याख्याता, शा.क.उमावि शिन्दे की छावनी लशकर ग्वालियर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मुरार 1402003026	28336+ 11804 =40140/-
	12. श्री उमाशंकर पटेल, सहायक ग्रेड 3, शा.उमावि बरूड़ जिला खण्डवा म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड छेगांवमाखन 2102003003	426676

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड कमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	13. श्रीमती गीता सिंह, शिक्षक, शा.हाईस्कूल रामपुर जिला जबलपुर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जबलपुर 1802003068	31990
2202 सामान्य शिक्षा	14. श्री मानसिंह कन्नोलिया, प्राचार्य, शा.हाईस्कूल पारसैन, जिला ग्वालियर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मुरार 1402003026	6350+ 7455 -13805/-
109 माध्यमिक शिक्षा	15. श्री विशुनलाल शक्य, भृत्य, शा.क.उमावि पोरसा जिला ग्वालियर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड पोरसा 2512003019	67585
0581 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	16. श्री अशोक चौहान, सहायक शिक्षक, विज्ञान शा.उमावि गांधीनगर इन्दौर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौर 1712003043	100000+ 8500 =108500/-
11 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें	17. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक ग्रेड 3, शासकीय हाईस्कूल कचनारा तहसील सीतामउ जिला मंदसौर म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सीतामउ 2402003016	51483+ 119640+ 9705+ 12863+ 13042+ 22749 =229482/-
8888 वेतन, भत्ते	18. श्रीमती गजराज कुमारी सिंह, व्याख्याता, शा.उमावि कन्या पी.के.रीवा न.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रीवा 3202003071	70122+ 44142+ 67149+ 42970+ 49681+ 41830+ 38160 =354054/-
009 मतदेय चिकित्सा प्रतिपूर्ति			₹21,50,911/-
(अक्षरी राशि रु.इक्कीस लाख पचास हजार नौ सौ ग्यारह मात्र)			

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

//03//

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत”

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 10.05.2018

पृ.क्रमांक/बजट (सी)4/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/34

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी- सागर, सीहोर, होशंगाबाद, नीमच, ग्वालियर, खरगोन, खण्डवा, जबलपुर, इन्दौर, मंदसौर, रीवा म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर, सीहोर, होशंगाबाद, नीमच, ग्वालियर, खरगोन, खण्डवा, जबलपुर, इन्दौर, मंदसौर, रीवा म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारिगण स.क्र. 1 से 18 तक
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.